45

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1234—दो/2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 27—06—2006 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 05/निगरानी/2000—01.

.....

पनमा पुत्री शिवसम्पतराम
निवासी बरौंहा तहसील सिंगरौली
जिला सीधी म0प्र0/वर्तमान जिला सिंगरौली

—— आवेदक

विरूद्ध

1—ललता प्रसाद पुत्र जगजीवनराम भटट्
2—अमरकेश पुत्र जगजीवनराम भटट्
3—रामनरेश पुत्र शिवधारीराम भटट्
4—सुरेश प्रसाद पुत्र शिवधारीराम भटट्
सभी निवासी ग्राम बरौंहा तहसील
सिंगरौली जिला सीधी म0प्र0/वर्तमान जिला सिंगरौली

—— अनावेदकगण

.....

श्री आर0 डी0 शर्मा अभिभाषक, आवेदक
श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 22-12-17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–06–2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 116 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जहां पर तहसीलदार ने दिनांक 3.1.2000 को प्रकरण प्रचलनशील माना। इससे दुखित होकर अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 29.10.05 को खारिज हो गई। इसी से दुखी होकर अपर कलेक्टर बैढ़न जिला सीधी के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 26.9.2000 को निगरानी स्वीकार की गई इससे दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा दिनांक 27.06.06 अपर कलेक्टर जिला सीधी का आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार की गई इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि संपूर्ण भूमि का भूमिस्वामी शिवसंपतराम था। उसका सन् 1970 में स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास के उपरांत 1/3 हिस्सा पर शिवसंपतराम के उत्तराधिकारियों में श्रीमती विरधिया, फुलवा, एवं पनमा के नाम 1/3 हिस्सा पर शिवधारीराम एवं 1/3 हिस्सा पर जगजीवनराम का नामांतरण बन्दोवस्त के दौरान आपसी सहमति के आधार पर सन् 1984 में हुआ। आवेदिका ने अपनी बहन फुलवा के पुत्रों से उसकां 1/2 हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.12.98 द्वारा कय किया । तदनुसार आवेदिका के पक्ष में 10.4.99 को नामांतरण हो गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के

न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 29.10.05 को खारिज हो गई। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि मृत शिवसंपतराम की फर्जी वसीयत नामा सन् 1971 के आधार में फर्जी पंजी कमांक 2 आदेश दिनांक 24.6.94 द्वारा राजस्व अभिलेख में अपना फर्जी इन्द्राज करा लिया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में अपर आयुक्त द्वारा निगरानी में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता । तहसीलदार को धारा 115–116 के अधीन राजस्व अभिलेख किये गये गलत या फर्जी इन्द्राज को शुद्व करने की अधिकारिता है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 27.06.06 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अनावेदिका ने संहिता की धारा 116 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि विवादित आराजी पर उसका नाम दर्ज किया जाय। जबकि आवेदक का वर्ष 1994 में नामंतरण आदेश पारित हो चुका था। इसलिये कार्यवही कर खसरे में सुधार नहीं किया जा सकता। अधीनसी न्यायालय ने एक तरफ उललेख किया है कि पंजीउपलब्ध नहीं हे तो दूसरी तरफ प्रमाणित प्रति पेश करना व्यक्त करते हैं । पंजी है तभी नकल प्राप्त हुई होगी। सन् 1994 में वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण हुआ था, इस आधार पर अपील करना चाहिये था, संहिता की धारा 116 में कार्यवाही प्रचलन योग्य नहीं थी। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदन की निगरानी निरस्त की जावे। तथा अपर आयुक्त रीवाका आदेश दिनांक 27.06.06 स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदिका ने तहसील न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 116 के अंतर्गत वर्ष 1999–2000 में हुई त्रुटि को सुधार किये जाने हेतुआवेदन पत्र प्रस्तुत किया था वह विधि विरूद्व था। क्यों कि तहसीलदार के द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 2 के द्वारा दिनांक 24.6.94 को नामांतरण आदेश पारित किया गया तथा तहसीलदार ने अपने प्रकरण कमांक 44/अ–6–अ/98–99 में दिनांक 12.11.98 को दिनांक 24.6.74 के नामांतरण आदेश की इतिलायाबी का आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक को सक्षम न्ययालय में अपील /निगरानी प्रस्तुत करनी चाहिये थी। न कि संहिता 116 के अंतर्गत खसरा रोस्टर में हुई भूल को सुधार का प्रावधान है। इस बात का उल्लेख अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में भी किया गया है। अपर आयुक्त रीवा के आदेश में को विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उनका आदेश स्थिर रखने योग्य है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 05/निगरानी/2000–01 पारित आदेश दिनांक 27.06.06 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर